<u>कार्यालय परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

// सूचना //

मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (**ITI**) परिसर, नंदानगर, इन्दौर में हल्के वाहन (**Light Motor Vehicle**) चालन का नि:शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलाओं को उक्त प्रशिक्षण चयन में प्राथमिकता दी जाएगी ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 दिवस का होगा, जिसमें 155 घण्टों का व्यावहारिक प्रशिक्षण (थ्यौरी और प्रायोगिक) सम्मिलित होगा । इस बाबद इच्छुक आवेदिका को कॉशनमनी रूपये 1000/- जमा करनी होगी । प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात कॉशनमनी की राशि आवेदिका को वापस कर दी जाएगी । प्रशिक्षित महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (**ITI**) प्रमाण पत्र के साथ ही परिवहन विभाग द्वारा नियमानुसार ड्रायविंग लायसेंस प्रदान किया जाएगा ।

बाहर से आने वाली महिलाओं को छात्रावास तथा भोजन की नि:शुल्क सुविधा **ITI** में होगी ।

इच्छुक महिलाएं आवेदन फार्म मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग की वेबसाइट **www.mptransport.org,** प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों एवं शासकीय ड्रायविंग प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं ।

आवेदिका इस आवेदन पत्र को संबंधित दस्तावेज यथा -

(1) आधार कार्ड की छायाप्रति
(2) गरीबी रेखा के राशन कार्ड की छायाप्रति (यदि हो तो)
(3) जाति प्रमाण पत्र
(4) जन्म तिथि प्रमाण
(5) पासपोर्ट साइज फोटो
(6) अन्य कोई दस्तावेज जो आवेदिका प्रस्तुत करना चाहती हो

संलग्न कर दिनांक 05-01-2021 सांयकाल 1**7.00** बजे तक बंद लिफाफे पर **''विषय - महिला चालक प्रशिक्षण सत्र''** लिखकर **<u>शासकीय ड्रायवर प्रशिक्षण संस्थान, आई.टी.आई. परिसर नंदानगर, इलेक्ट्रॉनिक काम्पलेक्स के पास, इंदौर (म.प्र.)</u>** के पते पर प्रेषित कर सकती हैं अथवा **<u>ईमेल आईडी - dtinindore@gmail.com</u>** पर मेल कर सकती हैं । उक्त समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे ।

अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर साक्षात्कार के माध्यम से 90 प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें क्रमश: जनवरी, फरवरी तथा मार्च, **2021** में 30 प्रशिक्षणार्थी प्रति सत्र के अनुसार चालन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा । चयन प्रक्रिया में अंतिम निर्णय परिवहन विभाग का होगा ।

परिवहन आयुक्त,
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवेदन

(केवल महिलाओं के लिए)

पासपोर्ट
साईज फोटो
स्वहस्ताक्षरित

(1) व्यक्तिगत जानकारी :

आवेदिका / प्रशिक्षणार्थी का पूरा नाम					
आवेदिका के पिता / पति का नाम					
आवेदिका की जन्म तिथि (**DD/MM/YY**)					
स्थाई पता					
वर्तमान पता					
मोबाइल नम्बर		क्या व्हाटसऐप चालू है ?			
		हॉ		नहीं	
मोबाइल नम्बर (अन्य कोई)		क्या व्हाटसऐप चालू है ?			
		हॉ		नहीं	
ई–मेल आई.डी					
आधार कार्ड क्रमांक					
समग्र आईडी क्रमांक					

(2) शैक्षणिक योग्यता :

अकादमिक	
कोई अन्य विशेष योग्यता का विवरण	

Scanned with CamScanner

(3) श्रेणी :

जाति (मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र होने पर ही (SC/ST/OBC/)	**सामान्य**	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**

(4) वैवाहिक विवरण :

क्या आवेदिका विवाहित है ?	**हॉं**		**नही**	

(5) आर्थिक स्थिति :

आर्थिक स्थिति	**गरीबी रेखा के नीचे BPL**	**गरीबी रेखा के उपर APL**

<u>आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वहस्ताक्षरित कर प्रमाणित करना अनिवार्य है।</u>

दिनांकः...............................

स्थानः..............................

आवेदिका के हस्ताक्षर

—— घोषणा ——

मैं घोषणा करती हूं कि आवेदन फार्म की कंडिका क्रमांक 1 से 5 तक की दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है, यदि दी गयी जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मुझे अपात्र घोषित किया जाकर मेरी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

दिनांकः ....

स्थानः ....

आवेदिका के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner